



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र सं० :- 603 / भूखण्ड अनुभाग / 2026

दिनांक :- 03/04/2026

प्रभारी विज्ञापन,
गा०वि०प्रा०, गाजि०

कृपय अवगत कराना है कि ग्राम-नूरनगर स्थित खसरा संख्या-96 व 97 पर स्थित नन्दग्राम आवासीय योजना के ब्रोशर के बिन्दु सं०-7 में आरक्षण व्यवस्था हेतु बिन्दु सं०-7.1 के क्रम सं०-9 पर संशोधित निम्नानुसार विज्ञप्ति का सार्वजनिक सूचना राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक एवं स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों (अमर उजाला, हिन्दुस्तान, उदय भूमि व दैनिक हिन्ट) में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्रों की एक-एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें,

“विज्ञप्ति / संशोधन”

ग्राम-नूरनगर स्थित खसरा संख्या-96 व 97, नन्दग्राम आवासीय योजना “अपनी जमी-अपना आसमान”(रेरा पंजी० सं०-UPRERAPRJ932839/02/2026) के 77 भूखण्डों हेतु प्रकाशित योजना के ब्रोशर के बिन्दु सं०-7 में आरक्षण व्यवस्था हेतु बिन्दु-7.1 के क्रम सं०-9 पर विकलांगों/दिव्यांगजन हेतु शासनादेश संख्या-55/आठ-1-18-185 विविध/2010 दिनांक 15/05/2018 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण का अंकन लिपिकीय त्रुटिवश हो गया था। जबकि शासनादेश संख्या-35/आठ-1-18-185 विविध/2010 दिनांक 15/05/2018 में दिव्यांगजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज (हारिजेन्टल) आरक्षण का प्राविधान है। इस प्रकार ब्रोशर में टंकित शासनादेश सं०-55 के स्थान पर 35 तथा क्षैतिज (हारिजेन्टल) आरक्षण 10 प्रतिशत के स्थान पर 05 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया है।

तदनुसार ब्रोशर का बिन्दु सं०-7.1 का क्र०सं०-9 संशोधित समझा जाये।

03/04/2026

प्रभारी सम्पत्ति
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।